न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2015

अपीलान्ट

1. चम्पालाल पुत्र कानाजी के का0मु0 जितेन्द्र कुमार पुत्र चम्पालाल जाति खाती (जांगिड़ ब्राहम्ण)
2. लक्ष्मणराम पुत्र कानाजी जाति खाती (जांगिड़ ब्राहम्ण) निवासीगण माण्डवला तहसील जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. शांतिदेवी पत्नी मोहनलाल जाति ओसवाल जैन
2. सुमेरमल पुत्र सरेमल जाति जैन के का0मु0

2.1 हिराचन्द पुत्र सुमेरमल

2.2 राजेन्द्र कुमार पुत्र सुमेरमल

3. जोईताजी पुत्र चेनाजी जाति खाती के का0मु

3.1 जूठाराम पुत्र जोईताजी

3.2 सकाराम पुत्र जोईताजी जातिगण खाजी निवासीगण माण्डवला

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर
5. फतेहसिंह पुत्र मगसिंह जाति राजपूत निवासी माण्डवला तहसील जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मधूसुदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री लेखराज दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2003 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट के पिता/दादा मूपा पुत्र

चैनाजी की खातेदारी भूमि थी। मूपा पुत्र चैनाजी के पुत्र थे, जो कानीया, अचलिया व देविया थे। इनमें से अचलिया व देविया लाऔलाद की फौत हो गए। इस कारण उक्त भूमि का कानिया अकेला ही खातेदार काश्तकार रहा। कानिया को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने मोहनलाल से रूपये उधार लिए एवं रूपयों के एवज में इस भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि की बेचान रजिस्ट्री मोहनलाल के पक्ष में करवाई, जो बाद में मोहनलाल को रूपये चुका देने पर मोहनलाल द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री पुनः चम्पालाल व लक्ष्मणराम के नाम करवा दी। अपीलाण्ट के दादा मूपा के भाई जोईताजी कतरोसन रहते थे, जिन्होने राजस्व अधिकारियों से मिलावट करते हुए उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत स्वयं के नाम दर्ज करवा दी। जबकि उक्त भूमि मुपा की पुश्तैनी भूमि नहीं थी एवं एकमात्र मुपा का ही मौके पर कब्जा काश्त था एवु मुपा के पश्चात उसके पुत्र कानिया उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त था। जोईता ने विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील वादस्थ भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि स्वयं के नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ प्राप्त करने की मंशा से उक्त भूमि सुमेरमल को बेचान की, सुमेरमल द्वारा शांतिदेवी को बेचान की एवं शांतिदेवी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 फतेहसिंह को बेचान की। जब जोईता को उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकं अधिकांर ही नहीं था, तो उसके द्वारा किया गया बेचान आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। इन समस्त तथ्यों की अपीलाण्ट को जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के जवाबदावे में नियत था। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामें के प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत के तहत जिन श्रेणियों के मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए है, उनमें यह प्रकरण कवर ही नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात को विवेचित करते हुए विनिश्चित किया एवं न ही अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया। प्रकरण में जो तथ्य पटल पर आए थे, उन्हे साक्ष्यों से ही साबित किया जा सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज़ किया है, जो विधिक दृष्टि से अनुचित है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मूपा व जोईता दोनों भाई थे तथा जोईता डांगरा में रहता है। मूपा ने भूमि मोहनलाल के समक्ष गिरवी रखी, जिसका जोईता को पता चला, तब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत जोईता को उसके हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। मूपा के फौत होने पर उसके का0मु0 को रेकर्ड पर लिया गया। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण जोईता का नाम राजस्व रेकर्ड में देरी से इन्द्राज हुआ। यह भूमि सिलसिलेवार हुए विक्रय विलेखों से रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के खातेदारी में आई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 सद्भावी क्रेता होकर काबिज आराजी है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण अपील भी प्रस्तुत की गई, जो खारिज़ हुई है। उक्त भूमि पर मूपा व जोईता संयुक्त रूप से काबिज थे, किन्तु राजस्व रेकर्ड में अकेले मुपा का नाम दर्ज हो गया, जो बाद में सुधार करते हुए धारा 19 के तहत जोईता को भी उसके हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की भूमि का राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज किया गया। उसके बाद तहरीर हुए राजस्व अभिलेख में जोईता का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ है एवं एक खातेदार अपने हिस्से की भूमि के बेचान हेतु स्वतन्त्र होता है। तद्नुसार निष्पादित हुए विक्रय विलेखों के क्रम में रेस्पोडेन्ट खातेदार काश्तकार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का कथन है कि जोईता डांगरा में रहता है, तो उसे माण्डवला में धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हो सकते है एवं तहसीलदार को धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने के विधिक अधिकार ही प्राप्त नहीं है। जब मूपा फौत हुआ, तो उसके वारिशान रेकर्ड पर आए, जबकि तहसीलदार द्वारा मुपा को सुना जाना अंकित किया है, जो आधारहीन है। फतेहसिंह ने उक्त भूमि क्रय की है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया गया है तथा प्रकरण फतेहसिंह के जवाब हेतु नियत था। रेस्पोडेन्ट नामान्तरकरण अपील के खारिज़ होने का कथन करते है, जबकि विधि अनुसार नामान्तरकरण सरसरी प्रक्रिया हैं, जिससे किसी प्रकार के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जबकि हस्तगत प्रकरण में न तो समझौता हुआ एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के तथ्यों को जांचा व परखा है। अतः अपील स्वीकार करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4089/2006 स्टेट ऑफ पंजाब वगैरा बनाम गणपतराज में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2006 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 नारायण वगैरा बनाम पेपीदेवी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2018 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जिन तथ्यों को उठाया गया है, उन्ही तथ्यों पर यह अपील आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात की कायम की एवं जिस समय रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, तब प्रकरण अपीलाण्ट/वादीगण की शहादत में नियत था, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का पक्षकार बनाए जाने के फलस्वरूप पुनः रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 6 के जवाबदावे हेतु नियत हुआ। प्रकरण में बतौर साक्ष्य गवाह चम्पालाल, भूरसिंह, जगता, बादराराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किए है, न तो कोई साक्ष्य प्रदर्शित हुए एवं न ही उनसे जिरह हुई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश लोक अदालत में पारित किया गया है, जिसमें न तो रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित थे एवं न ही किसी प्रकार का राजीनामा पक्षकारान् के मध्य निष्पादित हुआ। जहां तक लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। चूंकि प्रकरण के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में तहरीर व तकमील हुए राजस्व रेकर्ड का विधिक परीक्षण आवश्यक था, जिससे पक्षकारान् के हक अधिकारों का विधिवत निर्धारण किया जाना था, किन्तु जब साक्ष्य ही नहीं लिया गया, दस्तावेजात् का प्रकटीकरण ही नहीं हुआ, तनकीयात को विनिश्चित ही नहीं किया गया, तो किस आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है ? यह स्थिति विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से राजस्व रेकर्ड ही विधिक परीक्षण का मोहताज़ था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में छुआ ही नहीं है। न्यायालय का कार्य मात्र प्रकरणों को निर्णित करना ही नहीं, वरन् पक्षकारान् को विधि दायरे में रह कर न्याय प्रदान करना है। हस्तगत प्रकरण में इन सिद्धान्तों को भी पूर्णतः अनदेखा किया गया है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा कर न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2003 कानिया के का0मु बनाम शांतिदेवी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रिया अनुसार पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, दस्तावेजात् का विधिक परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर